न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – अतुल प्रकाश, I.A.S. (P)

प्रकरण संख्या : 14 / 18

1. अमन पुत्र जगदीश प्रसाद, जाति मीना, निवासी वीरयाखेडी (वीलखेडी) तहसील लाडपुरा जिला कोटा–नाबालिग जर्ये वली माता रजनीबाई पत्नि जगदीश प्रसाद मीना, निवासी वीर्याखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. श्रीमती रजनीबाई पत्नि जगदीश प्रसाद मीना, निवासी वीर्याखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल गोपालपुरा

–– वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र भैरूलाल जाति मीना निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

–– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राज0 टी0 एक्ट

उपस्थिति : वादी अभिभाषक श्री श्यामलाल सुमन

दिनांक : 25.02.2020

निर्णय

1. वादीगण की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89, 188 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में एक वाद पेश किया गया।
2. वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में निवेदन किया गया कि –
   - ग्राम वीलखेडी, पटवार हल्का काल्याखेडी, तहसील लाडपुरा जिला कोटा के माल में खाता संख्या 106 नया एवं पुराना 108 की आराजी खसरा नम्बर 26 / 1 की रकबा 0.88 हैक्टर स्थित हैं, जो प्रतिवादी क्रम–1 के खाते दर्ज रिकार्ड हैं। उक्त भूमि प्रतिवादी को उसके पिता भैरूलाल से प्राप्त हुई हैं। उक्त भूमि पुश्तैनी हैं।
   - प्रतिवादी क्रम–1 के एक पुत्र जगदीश प्रसाद पैदा हुआ तथा जगदीश प्रसाद का पुत्र वादी क्रम–1 हैं, जो नाबालिग हैं तथा वादी क्रम–2 जगदीश प्रसाद की बेवा पत्नि हैं। जगदीश प्रसाद की मृत्यु हो चुकी हैं और जगदीश प्रसाद के एक पुत्री शानू एवं वादी क्रम–1 अमन पुत्र हैं। पुत्री शानू की भी मृत्यु हो चुकी हैं। जगदीश प्रसाद की मृत्यु के पश्चात वादीगण ही उसके जायज वारिसान हैं।
   - प्रतिवादी क्रम–1 का व्यवहार वादीगण के प्रति उचित नहीं हैं और वादीगण को जगदीश प्रसाद की मृत्यु के पश्चात धक्का देकर मकान से बाहर निकाल दिया। प्रतिवादी क्रम–1 आदतन शराबी व्यक्ति हैं, कुछ भूमियां प्रतिवादी क्रम–1 ने विक्रय कर दी हैं, अब उसके खाते में उपरोक्त वर्णित भूमि ही हैं, जिसको भी कही विक्रय अथवा खुर्दबुर्द करने पर आमादा हैं।
   - आये दिन प्रतिवादी क्रम–1 वादीगण से कहता रहता हैं कि मैं इस बची भूमि को भी विक्रय कर दूंगा, यह भूमि मेरे खाते दर्ज हैं। वादीगण का आमदनी का कोई जरिया नहीं हैं, यदि इस बची हुई भूमि को भी प्रतिवादी क्रम–1 द्वारा विक्रय या खुर्दबुर्द कर दिया तो वादीगण अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित हो जायेगे और उनके सांपत्तिक अधिकारों

Scanned by CamScanner

का हनन होगा। विवादित भूमि पुश्तैनी होने से प्रतिवादी क्रम–1 को उक्त भूमि अथवा उसके भाग को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादी क्रम–1 उक्त भूमि पर वादीगण को काश्त करने भी नहीं देता हैं तथा भूमि के उपयोग उपभोग एवं काश्त से भी वंचित कर रखा हैं। जिसका प्रतिवादी क्रम–1 को कोई अधिकार नहीं हैं। उक्त भूमि पुश्तैनी होने से वादीगण का भूमि में 1/2 हिस्सा बनता हैं, जिसे वे प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

- प्रतिवादी क्रम–1 अपने उक्त अवेध एवं अनाधिकृत कृत्य में सफल हो गया और उक्त भूमि को विक्रय कर दिया गया तो वादीगण अपनी पैतृक संपत्ति से पूर्णतया वंचित हो जायेंगे और वादीगण को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति करना वादीगण के लिये असंभव हो जायेगा। अतः उक्त भूमि के विक्रय से प्रतिवादी क्रम–1 को रोका जाना आवश्यक हैं।
- विवादित भूमि पुश्तैनी होने से वादीगण ने प्रतिवादी क्रम–1 से आधी भूमि का बंटवारा कर वादीगण का राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा अलग किया जावे। प्रतिवादी क्रम–1 ने वादीगण को हिस्सा देने से इंकार कर दिया। इसलिये यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वाद कारण ग्राम बीलखेडी तह0 लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 26/1 की रकबा 0.88 हैक्टर भूमि पैतृक होने उसमें वादीगण का हिस्सा प्रभावित होने, उसमें 1/2 हिस्से की मांग करने जिसको प्रतिवादी क्रम–1 ने दिनांक 31.1.2018 को पूर्णतया इंकार करने एवं उक्त जमीन को बेचने व खुर्दबुर्द की धमकी देने पर अंतिम बार माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ हैं।
- प्रतिवादी क्रम–1 उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है इसलिये वाद अर्जेन्ट नेचर का होने से धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया सका है, वाद पेश करने की अनुमति हेतु धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र संलग्न है। विवादित आराजी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।
- अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी क्रम–1 के विरूद्व खातेदारी की घोषणा करते हुए वाद पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 26/1 की 0.88 हैक्टर वाके ग्राम बीलखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा का 1/2 हिस्से का खातेदार टीनेन्ट घोषित करते हुए विभाजन की डिक्री पारित की जाये तथा वादीगण के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी क्रम–1 बिना विभाजन किये उक्त भूमि को कही रहन, बेचान अथावा अन्य प्रकार से खुर्दबुर्द नहीं करें, ऐसा न स्वयं करे न अपने किसी प्रतिनिधि से करावे।
- वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में विवादित आराजी की जमाबन्दी संवत 2070–2073 तथा परिवार रासन कार्ड संख्या 107002500070, स्व. जगदीश के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 04.09.2015, वादी क्रम 2 रजनी बाई के परिचय पत्र व उनके पति जगदीश के आधार कार्ड की फोटोप्रतियां पेश की गई है।

3. न्यायालय में पेश वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की (जर्ये तहसीलदार) तलवी हेतु सम्मन जारी किये गये जो अदम तामील लौटने पर प्रतिवादी क्रम 1 की तलवी हेतु जर्ये रजिस्टर्ड डाक पुनः सम्मन जारी किये गये। तत्पश्चात 120 दिवस से अधिक की अवधि पूर्ण होने के बावजूद भी प्रतिवादी के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने तथा वादपत्र पर कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं करने पर आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार सम्यक तामील की

Scanned by CamScanner

घोषणा होने पर आदेश 9 नियम 6[1](क) सीपीसी के अनुसार प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। फलस्वरूप, प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब दावा पेश नहीं और प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी अभिभाषक द्वारा अपने कथनों के साक्ष्य स्वरूप वादी गवाह रजनी पत्नी स्व. जगदीश एवं प्रमोद पुत्र जगन्नाथ के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये, जो शामिल पत्रावली है।

4. प्रकरण पर वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रतिवादी क्रम–1 विवादित आराजी का अभिलिखित खातेदार कृषक है। प्रतिवादी क्रम–1 को उक्त आराजी अपने पिता स्व. भैरूलाल से प्राप्त हुई है। प्रतिवादी क्रम–1 के एकमात्र पुत्र स्व. जगदीश का स्वर्गवास हो चुका है। वादिनी क्रम–2 प्रतिवादी क्रम–1 की बहू है तथा वादी क्रम 1, प्रतिवादी क्रम–1 का पोता (पुत्र का पुत्र) है। इस प्रकार वादी क्रम–1 के लिये विवादित आराजी पैतृक आराजी है। प्रतिवादी क्रम–1 आदतन शराबी व्यक्ति है। प्रतिवादी क्रम–1 को विवादित आराजी के अतिरिक्त अन्य आराजीयात भी प्राप्त हुई थी जो उसके द्वारा बेचान कर दी गई है तथा अन्य लोगों के बहकावे में आकर अब शेष बची विवादित पैतृक आराजी को बेचान कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। वादीगण के पास आय का कोई साधन नहीं है। वादी क्रम–1 के लालन–पालन तथा भविष्य के लिये विवादित आराजी को सुरक्षित रखना आवश्यक है। अतः प्रकरण में चाहे गये अनुतोष के आधार पर निवेदन है कि प्रतिवादी क्रम 1 के पुत्र (स्व. जगदीश) के हिस्से पर वादीगण को खातेदार घोषित कर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जावे व आराजी का विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम–1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे।

5. हमने वादी अभिभाषक की सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावाजात का नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि विवादित आराजी के पैतृक होने की स्थिति में उसमें वादी क्रम–1 का हित व अधिकार निहित है। अतः वाद वादीगण आंशिक स्वीकार कर, वादी क्रम–1 को ग्राम बीलखेडी, पटवार हल्का काल्याखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 26/1 रकबा 0.88 हैक्टर के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी क्रम–1 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जाती है कि वह वादी क्रम–1 के 1/2 हिस्से को रहन, बेचान, हस्तान्तरण के माध्यम से खुर्द बुर्द करने का प्रयास नहीं करे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को निर्णय व डिक्री की पालना किये जाने के आदेश प्रदान किया जाता है।

6. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25 फरवरी, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश) I.A.S. (P)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

Scanned by CamScanner

ण्मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – अतुल प्रकाश, I.A.S. (P.)

बउनवान :–

1. अमन पुत्र जगदीश प्रसाद, जाति मीना, निवासी वीरयाखेडी (बीलखेडी) तहसील लाडपुरा जिला कोटा–नाबालिग जर्ये वली माता रजनीबाई पत्नि जगदीश प्रसाद मीना, निवासी वीर्याखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. श्रीमती रजनीबाई पत्नि जगदीश प्रसाद मीना, निवासी वीर्याखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल गोपालपुरा

–– वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र भैरूलाल जाति मीना निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

–– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : 53, 88, 89, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 14 / 18
निर्णय दिनांक : 25-02-2020

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री श्यामलाल सुमन की उपस्थिति में आज तारीख 25–02–2020 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष बहस उपरान्त अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादीगण आंशिक स्वीकार कर, वादी क्रम–1 को ग्राम बीलखेडी, पटवार हल्का काल्याखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 26/1 रकबा 0.88 हैक्टर के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी क्रम–1 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जाती है कि वह वादी क्रम–1 के 1/2 हिस्से को रहन, बेचान, हस्तान्तरण के माध्यम से खुर्द बुर्द करने का प्रयास नही करे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को निर्णय व डिक्री की पालना किये जाने के आदेश प्रदान किया जाता है।
– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 25 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अतुल प्रकाश) I.A.S. (P)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		

Scanned by CamScanner